

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रं. 9- जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी:- सीमा कंवर)

दां.प्र.क्रं. 2073/2022
आरक्षी केन्द्र जांजगीर
अप. क्रं. 807/2022
संस्थित दिनांक 15/12/2022

तरुण मिश्रा पिता संतोष मिश्रा उम्र 15 वर्ष
 साकिन राजकिशोर नगर थाना सरकण्डा
 जिला बिलासपुर

..... प्रार्थी/आहत

//विरुद्ध//

उमेश खुसरो उर्फ छोदू उम्र 20 वर्ष
 पिता शोभाराम खुसरो, साकिन सरखो
 चौकी नैला थाना चांपा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.

..... अभियुक्तगण

ः:- अधिनिर्णय/आदेश ः:-
(आज दिनांक 13/07/2024 को पारित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जांजगीर के अपराध क्रं 807/2023 अंतर्गत धारा 294, 506 भाग दो, 323 भा.द.सं. के अपराध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 02- प्रार्थी/आहत एवं अभियुक्त द्वारा संयुक्त रूप से समझौता आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उभयपक्ष द्वारा दोनों पक्षों के बीच भविष्य में अच्छे संबंध पुनः स्थापित किये जाने हेतु सहमत हो चुके हैं, बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक समझौता किये जाने का अभिकथन किया गया है। प्रार्थी/आहत ने अभियुक्त से बिना किसी दबाव के राजीनामा होना बताया है।
- 03- उभयपक्ष द्वारा स्वेच्छापूर्वक राजीनामा होने से राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग दो, भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 04- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायलय के आदेशानुसार निराकृत किया जावेगा।
- 05- अभियुक्त का जमानत एवं बंधपत्र निरस्त किया जाता है।
- 06- उभयपक्ष को अधिनिर्णय/आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

सही/-

(सीमा कंवर)

पीठासीन अधिकारी

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रं.-9 जांजगीर
 जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

सही/-

(अरुण कुमार निषाद)

सदस्य

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रं.-9 जांजगीर
 जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)